भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1830

जिसका उत्तर 30 जुलाई, 2025 को दिया जाना है

उपचारित खदान जल का उपयोग

1830. श्री दुष्यंत सिंहः

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पेयजल, सिंचाई और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए उपचारित खदान जल के सतत और सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए क्या नीतियां और दिशानिर्देश हैं;

(ख) पेयजल के लिए आपूर्ति किए जाने वाले उपचारित खदान जल के आवश्यक स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों को पूरा करने के लिए क्या गुणवत्ता नियंत्रण उपाय अपनाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सभी खनन राज्यों में खदान जल प्रबंधन पहलों का विस्तार करने के लिए कोई राष्ट्रीय स्तर की रूपरेखा विकसित की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) : कोयला मंत्रालय अपने कोयला और लिग्नाइट सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) अर्थात् कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) के माध्यम से संगत पर्यावरणीय एवं जल संरक्षण दिशा-निर्देशों के अनुरूप पेयजल, सिंचाई और औद्योगिक प्रयोजनों के लिए अवशोधित खान जल के उपयोग को बढ़ावा देता रहा है। लाभकारी उपयोग के लिए अवशोधित खान जल की गुणवत्ता पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, जल (प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) तथा संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) द्वारा जारी निर्देशों द्वारा निर्देशित होती है। इसके अतिरिक्त, कोयला/लिग्नाइट पीएसयू ने विभिन्न प्रयोजनों के लिए अवशोधित खान जल का

सुरक्षित और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए अपनी स्वयं की मानक प्रचालन प्रक्रियाएं तैयार की हैं।

(ख) : यह सुनिश्चित करने के लिए कि पेयजल के उद्देश्यों के लिए आपूर्ति किए जाने वाला अवशोधित खान जल स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मानकों को पूरा करता है, भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस आईएस 10500:2012), केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) तथा किन्हीं अन्य लागू मानकों द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार प्रत्यायित प्रयोगशालाओं द्वारा अवशोधित खान जल की आवधिक जांच सहित विभिन्न गुणवत्ता नियंत्रण उपाय किए जाते हैं। आपूर्ति से पहले अवसादन, फिल्टरेशन और कीटाणुशोधन जैसी पर्याप्त अवशोधन प्रक्रियाएं प्रयुक्त की जाती हैं।

(ग) और (घ) : सभी कोयला और लिग्नाइट खनन करने वाले राज्यों में खान जल प्रबंधन पहलों का विस्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कोयला/लिग्नाइट पीएसयू ने घरेलू, सिंचाई और औद्योगिक प्रयोजनों के लिए खान के अधिशेष जल के लाभप्रद उपयोग हेतु परियोजनाएं शुरू की हैं।

****